

## NSW में तम्बाकू और ई-सिगरेट रिटेलरों (खुदरा व्यापारियों) के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

18 साल से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति को ई-सिगरेट और तम्बाकू बेचना गैर-कानूनी है

ई-सिगरेट, तम्बाकू और गैर-तम्बाकू वाले धूम्रपान उत्पाद 18 साल से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति को बेचे नहीं जा सकते हैं। रिटेलर या कर्मचारी को ग्राहक को ये उत्पाद बेचने से पहले यह पक्का कर लेना चाहिए कि उस ग्राहक की आयु 18 साल से अधिक है।

### ऐसी ई-सिगरेट को बेचना गैर-कानूनी है जिनमें निकोटिन होती है

NSW में ई-सिगरेट और ई-लिक्विड में तरल निकोटिन की बिक्री गैर-कानूनी है। इसमें ऑनलाइन बिक्री शामिल है।

ई-सिगरेट जिन्हें प्रयोग के बाद फेंक देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उनमें अक्सर तरल निकोटिन होती है और इसे NSW में बेचा नहीं जा सकता है।

### NSW Health के इंस्पेक्टर उत्पादों को कब्ज़े में लेकर इन्हें नष्ट कर सकते हैं और कानून का उल्लंघन करने वाले रिटेलरों पर मुकदमा चला सकते हैं

NSW Health के इंस्पेक्टर यह जांच करने के लिए तम्बाकू रिटेलरों और वेपिंग स्टोर जाते हैं कि कहीं तरल निकोटिन वाले उत्पाद तो बेचे नहीं जा रहे हैं।

वे इस बात की भी जांच करते हैं कि क्या 18 साल से कम आयु वाले लोगों को उत्पाद तो नहीं बेचे जा रहे हैं।

NSW Health के इंस्पेक्टर उन ई-सिगरेट और ई-लिक्विड उत्पादों को कब्ज़े में लेकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं जिनके लेबल पर यह लिखा हो कि उनमें निकोटिन है, या जिनमें निकोटिन होने का संदेह हो।

NSW Health इन उत्पादों को बेचने के लिए रिटेलरों पर मुकदमा चला सकता है।

NSW Health 18 साल से कम आयु वाले लोगों को तम्बाकू और ई-सिगरेट बेचने वाले रिटेलरों पर भी मुकदमा चला सकती है।

### अधिक जानकारी

आप NSW Health की वेबसाइट <https://www.health.nsw.gov.au/tobacco/Pages/ecig-retailers.aspx> पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ई-लिक्विड बेचने से सम्बन्धित कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं या आप तम्बाकू सूचना सेवा (Tobacco Information Line) को 1800 357 412 पर फोन कर सकते/सकती हैं। यदि आपको किसी दुभाषिए की आवश्यकता है तो आप अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service) को 131 450 पर फोन कर सकते/सकती हैं।